

मि.सं: 12080/27/2014-पी.पी-1

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
(पौध संरक्षण प्रभाग)

सेवा में,

कीटनाशियों के सभी लाइसेंसधारी डीलर/खुदरा विक्रेता ।

“ग्रो सेफ फूड”

नकली, घटिया, कम मानक वाले और बिना पंजीकृत/बिना लाइसेंस वाले कीटनाशकों से सावधान

आपको स्मरण होगा कि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने अक्टूबर 2014 में अपने “ग्रो सेफ फूड” पहल के बारे में आपको अवगत कराया था जिसे कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेक पूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु किया गया था । पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित लेबल दावों के अनुसार कीटनाशकों का प्रयोग मानव और पर्यावरण के स्वस्थ और तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण है अतः कीटनाशकों का पंजीकरण, सुरक्षा का विस्तृत और सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के पश्चात ही पंजीकरण समिति द्वारा विशिष्ट प्रयोग के लिए किया जाता है । अतः सभी थोक व्यापारियों और डीलरों की जिम्मेवारी बनती है कि वे केवल पंजीकृत कीटनाशकों का भंडारण, वितरण और बिक्री, पंजीकरण के नियम एवं शर्तों के अनुरूप ही करें ।

2 सरकार का यह मानना है कि कीटनाशी के लाइसेंसधारी डीलर पंजीकृत कीटनाशकों के सही चयन करने, अनुमोदित लेबल एवं लीफलेट के अनुसार प्रयोग की मात्रा, समय और तरीके के बारे में अपने किसान ग्राहकों को सही जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है । इसके अलावा डीलर घटिया, नकली और कम मानक वाले कीटनाशकों एवं रसायनों से मिलावट वाले जैव- उत्पादों की बिक्री में प्रभावी बाधक बन सकते हैं । आपको ज्ञात है कि अपंजीकृत, घटिया, नकली और कम मानक वाले कीटनाशकों की बिक्री, वितरण और भंडारण कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन एक गंभीर अपराध है जिस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है । अतः सभी स्टॉकिस्ट/डीलरों को सलाह दी जाती है कि ऐसे असंवैधानिक कार्य-कलापों से अपने आपको विरत रखें तथा इन्हें रोकने में सरकार की सहायता करें ।

3 सरकार सभी लाइसेंसधारी डीलरों और खुदरा विक्रेताओं से अनुरोध करती है कि वे “ग्रो सेफ फूड” अभियान के साथ अपने आपको जोड़े और इसमें सहभागी बने । आपका यह सहयोग हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य और वातावरण सुरक्षित रखने में अत्याधिक उपयोगी होगा । आपकी जानकारी हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गये हैं:

21/11/14

- i. घटिया/ नकली उत्पादों की स्टॉकिंग/वितरण/प्रदर्शन/बिक्री से बचें ।
- ii. उन उत्पादों का भंडारण/वितरण/प्रदर्शन/बिक्री न करें जिनका कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियमावली, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी वैध लाइसेंस न हों ।
- iii. कानून के अंतर्गत कीटनाशियों की बिक्री, बिक्री के लिए प्रदर्शन या भंडारण या वितरण के लिए वैध कीटनाशी लाइसेंस होना अनिवार्य है ।
- iv. कीटनाशी उत्पादों के सभी डीलर/खुदरा विक्रेता, उचित बिल / इनवॉयस के साथ वैध स्रोत से अपना स्टॉक खरीदें ।
- v. फसल संरक्षण उत्पादों की बिक्री के समय उपभोक्ताओं / किसानों को बैच संख्या, विनिर्माण और समाप्ति तिथि के ब्यौरा बिल या इनवॉयस में उपलब्ध कराएं ।
- vi. कीटनाशकों को उनकी समाप्ति तारीख के बाद न बेचें ।
- vii. किसानों को कीटनाशियों के प्रयोग से पहले लेबलों और लीफलेट पर दिए गए अनुदेशों को पढ़ने की सलाह दें । कृप्या लेबल और लीफलेट को पढ़ने और उसके बारे में जानकारी देकर किसानों की मदद करें । कृप्या किसानों या उपभोक्ताओं को ऐसी सलाह न दें जो कीटनाशी लेबल या लीफलेट पर मुद्रित न हो ।
- viii. किसानों और उपभोक्ताओं को कीटनाशियों के स्प्रे का समय, संख्या, मात्रा तथा अन्य कीटनाशियों के साथ मिश्रण की ऐसी सिफारिश न करें जो कीटनाशी लेबल या लीफलेट पर मुद्रित न हो ।
- ix. जिम्मेदार नागरिक की कृप्या नकली कीटनाशियों की बिक्री से सम्बंधित किसी भी सूचना के बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन / कृषि कार्यालय को सूचित करें ।
- x. कृप्या लेबल और लीफलेट पर दिए गए अनुदेशों के अनुसार प्रमाणिक और गुणवत्तायुक्त उत्पादों और उनके उपयोग को बढ़ावा देने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें ।
- xi. कृप्या पैकिंग और अप्रयुक्त सामग्री के उचित निपटान के बारे में किसानों को सलाह दें ।
- xii. कृप्या कीटनाशी अधिनियम, 1968, कीटनाशी नियमावली, 1971 और पंजीकरण समिति के दिशा निर्देशों का अध्ययन कर उससे मार्ग दर्शन ग्रहण करें ।

"गो सेफ फूड" अभियान को सफल बनाने में आपके पूर्ण सहयोग की आकांक्षा सहित,

भवदीय

बी-21/2/18
5-3-2018

(बी. राजेंद्र)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दिनांक: 27.02.2018

F.No. 12080/27/2014-PP.I
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
(Plant Protection Division)

To
All licensed Dealers/Retailers of Pesticides

GROW SAFE FOOD

**BEWARE OF COUNTERFEIT, SPURIOUS, SUBSTANDARD AND
UNREGISTERED/UNLICENSED PESTICIDES**

You would recall that the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Government of India has apprised you in October, 2014 and February, 2016 about the "Grow Safe Food" initiative which was launched with a view to promote safe and judicious use of pesticides. Application of pesticides as per label claims approved by the Registration Committee is critical to the health and well being of human beings and environment. Hence, pesticides are registered for specific usage under terms and conditions approved by the Registration Committee after a very detailed and careful evaluation of safety of the concerned chemicals. It is, therefore, the responsibility of all stocklist and dealers that only registered pesticides are stocked, distributed and sold.

2 The Government believes that licensed dealers of pesticides can play a critical role in educating farmers in making right choices of pesticides, the dosage, timing and mode of application in accordance with approved labels and leaflets. Besides, dealers can become an effective bulwark against spurious, counterfeit and sub-standard pesticides, as also those bio-products which are found to be laced with chemical pesticides. You are aware that violating of the Insecticides Act, 1968 through sale, distribution and stocking of unregistered, spurious, counterfeit and sub-standard pesticides is a serious offence and attracts punitive action under the law and therefore all stocklist/dealers are advised to assist the Government in curbing such illegal activities that may have bearing on human and environmental health.


3 The Government therefore, requests all licensed dealers and retailers of crop protection products to come forward and participate in this endeavour to 'Grow Safe Food' so that our health and environment continue to remain safe and protected. Here are a few simple advices for your consideration and necessary action:



- (i) Refrain from stocking/distributing/exhibiting/sale of counterfeit/fake products.
- (ii) Do not stock/distribute/exhibit sell product that do not possess a valid certificate of registration and a valid licence from the State Government under the provisions of the Insecticides Act, 1968 and Insecticides Rules, 1971.
- (iii) It is mandatory under the law to have a valid pesticides licence in order to sell, stock or exhibit for sale or to distribute pesticides.
- (iv) All dealers/retailers of pesticides products should procure their stocks from legitimate sources with proper bills/invoices.
- (v) It is mandatory to provide a bill or invoice in the form prescribed by law with details of batch number, manufacturing and expiry dates, to customers/farmers at the time of sale of crop protection products.
- (vi) Do not sell pesticides past their date of expiry.
- (vii) Advise farmers to read instructions on the labels and leaflets of pesticides before use. Please assist the farmer by reading and explaining the contents of the label and leaflet. Please do not tender any advice to farmers or customers that is not contained in the pesticide label or leaflet.
- (viii) Do not recommend dosage, timing and numbers of sprays, mixing with other pesticides to farmers and customers that is not expressly printed on the pesticide label or leaflet.
- (ix) As a responsible citizen, please inform the nearest police stations/agriculture office about any information related to sale of spurious pesticides.
- (x) Please cooperate with authorities in promoting bonafide and quality products and their use as per instructions on labels and leaflets.
- (xi) Please advise farmers about the proper disposal of packing and unused material.
- (xii) Please refer to the Insecticides Act, 1968, the Insecticides Rules 1971 and guidelines of the Registration Committee.

Looking forward to your full cooperation in making the "Grow Safe Food" campaign a success.

Yours sincerely,


7.2.2018
(Dr. B. Rajender)
Joint Secretary

Dated: 7.2.2018